बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई०ए०एस०संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14

विज्ञापन संख्या- बी.सी.ई.सी.ई.बी.(बी.सी.ई.सी.ई.)-2021/12 दिनांक- 01.02.2022

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021

BCECE (PCM / PCB / PCMB)-2021 के संयुक्त मेधासूची के आधार पर सरकारी क्षेत्र के फार्मेसी धारा/ चिकित्सा धारा एवं एस.जी.आई.डी.टी. के पुर्ण सीटों तथा कृषि धारा की 50% सीटों पर फार्मेसी धारा/ चिकित्सा धारा/ कृषि धारा के संस्थानों एवं BCECE (CBA / PCA / MBA / MCA)-2021 के मेधासूची के आधार पर कृषि महाविद्यालयों में शेष 50% सीटों पर प्रवेश हेतु Offline Mop-up Counselling से सम्बन्धित सूचना

1. BCECE-(PCM / PCB / PCMB)-2021 की संयुक्त मेधाक्रम के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी क्षेत्र के फार्मेसी / चिकित्सा/ कृषि महाविद्यालयों में फार्मेसी धारा / चिकित्सा धारा / कृषि धारा की 50% सीटों **तथा** BCECE(CBA/ PCA/ MBA/ MCA)-2021 के आधार पर कृषि धारा के 50% सीटों पर आयोजित की जाने वाली Offline Mop-up Counselling के आधार पर नामांकन हेतु BCECE(PCM / PCB / PCMB/ CBA/ PCA/ MBA/ MCA)-2021 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों / सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि BCECE-2021 की पूर्व प्रकाशित मेधासूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से सरकारी / निजी क्षेत्र के फार्मेसी / चिकित्सा/ कृषि महाविद्यालयों में फार्मेसी धारा / चिकित्सा धारा / कृषि धारा की 50% सीटों तथा BCECE(CBA/ PCA/ MBA/ MCA)-2021 के आधार पर कृषि धारा के 50% सीटों पर प्रथम वर्ष में हुए सीट आवंटन तद्नुसार नामांकन के पश्चात् शेष रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार/ संस्थानवार / कोटिवार रिक्तियाँ पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी हैं। **इन सीटों को भरने हेतु Offline Mop-up Counselling होगा।** रिक्तियों को देख कर अभ्यर्थी कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिये Online Willingness दें।

   यह Offline Mop-up Counselling पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में आयोजित होगा। उक्त Mop-up कॉउन्सेलिंग में भाग लेने हेतु BCECE-2021 में सम्मिलित सभी पात्रता-प्राप्त अभ्यर्थियों, चाहे वे पूर्व की online कॉउन्सेलिंग के आधार पर नामांकित हों या न हों, से Mop-up Counselling में भाग लेने हेतु Online Willingness आमन्त्रित किये जाते हैं। **Online Willingness दिनांक 01.02.2022 से दिनांक 06.02.2022 तक प्राप्त किये जायेंगे।** Offline Mop-up Counselling हेतु मेधाक्रम सहित साक्षात्कार कार्यक्रम पर्षद की वेबसाईट पर दिनांक **08.02.2022** को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2. उपरोक्त कंडिका-1 के अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध Mop-up कॉउन्सेलिंग के आधार पर पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु विज्ञापन सं. - बी.सी.ई.सी.ई.बी.(बी.सी.ई.सी.ई.)-2021/05 दिनांक- 31.10.2021 द्वारा पर्षद के वेबसाईट पर upload किये गए मेधासूची [जिसे अभ्यर्थी website के Home page पर "Download Rank Card of BCECE(PCM / PCB / PCMB/ CBA/ PCA/ MBA/ MCA)-2021' link पर click कर अपना Roll No. एवं जन्म तिथि डालकर मेधाक्रम प्राप्त कर सकते हैं] में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी Willingness देने हेतु योग्य हैं।

3(क). उपरोक्त कंडिका-2 के अनुसार पात्रता प्राप्त प्रत्येक उम्मीदवार आरक्षण कोटिवार अपना मेधाक्रम निम्नवत् प्रक्रिया से प्राप्त कर BCECE-2021 की उपरोक्त Mop-up कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त करें;

‘‘पर्षद के वेबसाईट bceceboard.bihar.gov.in के Home page पर जाकर "Willingness for BCECE(PCM / PCB / PCMB/ CBA/ PCA/ MBA/ MCA)-2021 Mop-up Round Offline Counselling" link पर click कर प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर BCECE-2021 का अपना रौल नं. एवं जन्म तिथि डाल कर मेधाक्रम की जानकारी प्राप्त कर 'SUBMIT YOUR WILLINGNESS' बटन पर Click करें और उसका प्रिंट निकाल ले जिस पर उसका कोटिवार मेधा क्रम एवं Option ID अंकित होगा । इस प्रिंट को कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

(ख) उपरोक्त कंडिका-3 (क) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उपरोक्त कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए कंडिका-1 में वर्णित निर्धारित अवधि में अपना Willingness को Online submit करना अनिवार्य है अथवा वे इस Mop-up Counselling हेतु अपना दावा खो देंगे।

4. उपलब्ध रिक्तियों पर पुनर्आवंटन / नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक **08.02.2022** को पर्षद वेबसाईट के माध्यम से दे दिया जायेगा। **Online Willingness देने वाले अभ्यर्थी दिनांक 08.02.2022 को प्रकाशित किये जाने वाले कार्यक्रम अनुसार ही कॉउन्सेलिंग हेतु पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में उपस्थित होंगे।**

5. वैसे अभ्यर्थी, जो BCECE-2021 की प्रथम या द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से किसी संस्थान में नामांकित हैं, और संस्थान/ ब्रांच में परिवर्तन चाहते हैं वे भी दिनांक **01.02.2022** से दिनांक **06.02.2022** की अवधि में इस Mop-up कॉउन्सेलिंग हेतु Online Willingness Submit करेंगे, उनके लिए उस सम्बन्धित संस्थान के पाठ्यक्रमों की अद्यतन उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पुनर्आवंटन (Re-Allotment) की सुविधा रहेगी।

6. (क) **इस विज्ञापन की कंडिका-3(ख) के अनुसार कॉउन्सेलिंग हेतु पात्रता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज दो स्वसत्यापित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार के लिये साथ लाना अनिवार्य है:**

   (i) इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

(ii) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबंधिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)।

(iii) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के मूल प्रवेश-पत्र (Admit Card) तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की छः अतिरिक्त प्रतियाँ।

(iv) मूल जाति प्रमाण-पत्र (v) मूल आय प्रमाण-पत्र (vi) मूल आवासीय प्रमाण-पत्र (vii) चरित्र प्रमाण-पत्र (viii) विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जो लागू हों, यथा- सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) हेतु विवरण पुस्तिका के अनुसार प्रमाण-पत्र आदि तथा विकलांगता कोटा (DQ) हेतु विवरण पुस्तिका के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र/ EWS प्रमाण पत्र आदि।

आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह अपने मूल आवास के अंचलाधिकारी / राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र, जिसमें उसकी जाति और उसके अनुसार उसकी आरक्षण कोटि का यथा स्थान अवश्य उल्लेख हो, को साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करे । उम्मीदवार द्वारा जमा किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित आरक्षण कोटि वही होनी चाहिये जो बी.सी.ई.सी.ई.-2021 में सम्मिलित होने के लिये निर्गत उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित हो।

(ix) Copy of Aadhar Card

(x) BCECE-2021 के लिए online किये गये Application Form के Part-A एवं Part-B की Hard Copy

(xi) Rank Card of BCECE-2021.

(x) The Verification Slip (जाँच-पर्ची) in 2 copies as downloaded alongwith Biometric Form in one copy साक्षात्कार / Document Verification के समय साथ लाना अनिवार्य है।

(ख) यदि उम्मीदवार का किसी संस्थान में नामांकन हो चुका है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद एवं उस संस्थान के प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उम्मीदवार उस संस्थान का **Bonafide** छात्र है और उसके सभी मूल प्रमाण-पत्र उस संस्थान के कार्यालय में जमा हैं । प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का BCECE-2021 का रौल नं., मेधा क्रम तथा कोटि जिसके अन्तर्गत उसका नामांकन हुआ है, का भी उल्लेख रहना चाहिये।

7. आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधा-सूची में सम्मिलित हैं, उनके रौल नम्बर (Unreserved [UR]) कोटि की मेधा-सूची में तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित कोटि की मेधा- सूची में भी अंकित हैं । ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान/ पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) के मेधा क्रमांक पर कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। अतः आरक्षण कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधासूची में सम्मिलित है उनको अपने (Unreserved [UR]) मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को कॉउन्सेलिंग हेतु आना अनिवार्य है । अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जायेंगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन की कंडिका-2 एवं कंडिका-3 के अनुसार इस कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पात्रता प्राप्त (eligible) हैं उनको इस साक्षात्कार हेतु अलग से कॉउन्सेलिंग पत्र नहीं भेजा जा रहा है । **ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कंडिका-3(क) के अनुसार निर्धारित तिथि तक कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए Online Willingness submit किया है तो वे इस सूचना के आधार पर उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार वेबसाईट से कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम प्राप्त करने के बाद, निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में निश्चित् रूप से उपस्थित हों अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जायेगा जिसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक Online Willingness submit नहीं करेंगे, वे कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे ।**

9. मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे ।

परीक्षा नियंत्रक